न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

व प्रकरण संख्या 102/2019 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल		गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये	बनाम	श्री मजीद पुत्र चिनेडार
पटवारी हल्का चोहटा		जाति मुसलमान निवासी मेहरानियो की ढाणी
		तहसील गड़रारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चोहटोड़ी ने रिर्पाट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम मेहरानियो की ढाणी के खसरा नंम्बर 1352 रकबा 44.05 बीघा में से 11 बीघा किस्म गैर मु. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया है। पटवारी हल्का की रिर्पाट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिकमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गडरारोड को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे । पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 5.11.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गड़रारोड़

जुर्माना 50/- फसल नि. 700/-
कुल योग 750/- जि.के पृष्ठ सं. 40
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया

तहसील राजस्व लेखाकार